राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 990/2020

राधेश्याम वर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.09.2024
आदेश की दिनांक : 27.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री स्वपनिल सिंह पटेल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मातादीन मीणा, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 19.06.1983 (अनुलग्नक–1) द्वारा एल.डी.सी. के पद पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर अपीलार्थी की सेवाओं को आदेश दिनांक 30.06.1987 (अनुलग्नक–2) द्वारा एल.डी.सी. के पद पर नियमित किया गया। अपीलार्थी को उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर रेंज, अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.05.2015 (अनुलग्नक–3) द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 18 पर अंकित है। वर्ष 1998–99 से अपीलार्थी को पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं तथा उसका मूल वेतन 4400/– रुपये है और 1998–99 से उसे वेतन वृद्धि, 18 वर्ष की सेवा पूरी होने पर एसीपी, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण, 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पर एसीपी, 01.07.2013 से वेतन निर्धारण और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण जैसे सेवा लाभ नहीं दिए गए हैं। इस संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 30.08.2018 (अनुलग्नक–4) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.09.2018 और 14.09.2018 को भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे (अनुलग्नक–5 एवं 6)। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, टोंक ने पत्र दिनांक 20.03.2020 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी से दिनांक 25.01.1998 से

उसके पदस्थापन स्थानों के बारे में जानकारी, विभाग के आदेशों/कार्यवाहियों के बारे में जानकारी जिसके द्वारा वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि और संशोधित वेतन नियमों के अनुसार वेतन निर्धारण को रोकने का आदेश दिया गया था और उसके खिलाफ पिछले पदस्थापन स्थान पर लंबित किसी भी कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी। दिनांक 20.03.2020 के पत्र के उत्तर में अपीलार्थी ने दिनांक 20.05.2020 (अनुलग्नक–8) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 25.01.1998 से विभाग द्वारा संशोधित वेतनमान नियमों के अनुसार वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि या वेतन निर्धारण के लाभ को रोकने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और उनकी पिछली पोस्टिंग स्थानों पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। अपीलार्थी ने दिनांक 17.07.2020 (अनुलग्नक–9) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपने अधिवक्ता जरिये न्याय की मांग का नोटिस भी दिया परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 1998–99 से देय सेवा लाभ यथा वार्षिक वेतन वृद्धि, 18 वर्ष की सेवा पूरी होने पर देय एसीपी, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण, 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पर देय एसीपी, 01.07.2013 से वेतन निर्धारण और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण करने और उसे 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की सहायक प्रशासनिक अधिकारी की पदौन्नति आदेश दिनांक 14.05.2015 द्वारा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर द्वारा की गई, अपीलार्थी को पत्र 20.03.2020 के द्वारा सूचित किया गया कि आप द्वारा सेवालाभ बकाया बताये जा रहे वह किन आदेशो/कार्यवाही से लम्बित है इस संबंध में यू.ओ. नोट भी अपीलार्थी को जारी किया गया तथा इस संबध मे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा टोंक द्वारा दिनांक 29.07.2020 तथा 25.09.2020 को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को प्रेषित किया गया परन्तु उनके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को किसी भी तरह की सूचना से अवगत नही करवाया गया अपीलार्थी अद्ववार्षिकी आयु पूर्ण होने पर दिनांक 31.05.2023 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो चुका है। अपीलार्थी के पास जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थाऐ टोंक मे कार्यरत रहते हुए स्टोर का प्रभार था तत्पश्चात् 03.09.1998 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरबार टोंक में पदस्थापन पर कार्यभार ग्रहण कर लिया किन्तु अपीलार्थी द्वारा उनके पास प्रभार स्टोर का चार्ज आज दिनांक तक सुपूर्द नहीं

किया गया जिसके संबध में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा टोंक द्वारा पूर्व मे निवेदन भी किया गया और अभी हाल ही अपीलार्थी को पत्र 04.03.2024 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा प्रभार स्टोर का चार्ज अविलंब सूपूर्द करने तथा प्रकरण निस्तारण मे सहयोग के लिए अपीलार्थी को सूचित किया गया। उक्तानुसार उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने वर्ष 1998–99 से सेवा परिलाभ यथा वार्षिक वेतन वृद्धि, 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय एसीपी, छठें वेतनमान के अनुसार वेतन नियतन, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय एसीपी दिनांक 01.07.2013 से वेतन नियतन तथा सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन नियतन करने और एरियर राशि पर मय 12 प्रतिशत ब्याज से भुगतान करने का अनुतोष चाहा है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच या अन्य कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक द्वारा अपीलार्थी के संबंध में किसी भी तरह की सूचना से प्रारम्भिक शिक्षा से अवगत नहीं कराया। अपीलार्थी दिनांक 31.05.2023 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी के पास जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थाऐं टोंक में पदस्थापित रहते हुए स्टोर का प्रभार था। तत्पश्चात दिनांक 03.09.1998 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरबार टोंक में पदस्थापन पर कार्यभार ग्रहण कर लिया परन्तु अपीलार्थी द्वारा उसके पास स्टोर का चार्ज आज दिनांक तक सुपुर्द नहीं किया गया। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 04.03.2024 के द्वारा प्रभार स्टोर का चार्ज सुपुर्द करने तथा प्रकरण निस्तारण में सहयोग के लिए सूचित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब में अपीलार्थी के विरूद्ध किसी तरह की विभागीय जांच अथवा प्रकरण लम्बित होने अथवा किसी दण्डादेश का अंकन नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाहे गये वेतन परिलाभों को बिना किसी कारण के रोका गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 1998 से फरवरी 2024 तक अपीलार्थी को स्टोर का चार्ज सौंपे जाने के संबंध में कोई नोटिस दिया हो या पत्राचार किया हो, इसके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। पत्र दिनांक 04.03.2024 प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने के पश्चात जारी किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत स्पष्ट है कि अपीलार्थी को किसी कारण और आधार के उसके देय वेतन और परिलाभों से वंचित रखा गया है। अतः अपीलार्थी

की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा चाहे गये अनुतोष संबंधित समस्त वेतन परिलाभ के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर नियमानुसार स्वीकृति जारी की जावे और तीन माह में समस्त देय परिलाभों का भुगतान अपीलार्थी को किया जाना सुनिश्चित किया जावे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 1998 में अपीलार्थी के पास जो स्टोर का चार्ज था उसमें अपील दायर होने से पहले तक सम्पादित भौतिक सत्यापन अथवा अंकेक्षण रिपोर्ट में किसी तरह की कमी पाई जाती है तो उसके आधार पर अपीलार्थी से जो राशि वसूल योग्य बनती है उसकी वसूली के लिए प्रत्यर्थी विभाग स्वतंत्र होगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य